मुकाम

महावीर बनाम मंगलराम

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र विभाजन नं० 57/2021 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	20.9.21 पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थीगण उप० अप्रार्थी 1, 2, 6, 8, 9 द्वारा स्वीकारात्मक जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। शामिल पत्रावली किया। शेष प्रा० पत्र नाम इन्तकाल अप्रार्थी 3 पेश किया। वास्ते जवाब शेष अप्रार्थीगण दिनांक 27.9.21 को पेश हो उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	मंगल राम शर्मा ओमप्रकाश शर्मा देवी सहाय शर्मा कमलेश शर्मा [illegible] 1, 2 आदि
	27.9.2021 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० अप्रार्थी वकील द्वारा जवाब प्रा० पत्र स्वीकारात्मक पेश किया शामिल पत्रावली किया गया बहस पक्षकार वकील सुनी गई प्रार्थी प्रा० पत्र अप्रार्थी 3 नाम इन्तकाल किये जाने का वकील पक्षकार सहमति से स्वीकार किया जाकर नाम इन्तकाल किया जाता है प्रार्थी गण प्रा० पत्र अनुसार ग्राम इस्माइलपुरा तहसील बसवा जिला दौसा स्थित भूमि खाता [illegible] किता [illegible] खसरा नम्बर 16 प्रदान 15 [illegible] 2 रकबा 1.88 हे० [illegible] नाम श्री राजस्व रिकार्ड [illegible] पिता भवानी की मृत्यु हो चुकी है। खाता सं० नम्बर 14 प्रदान 13 के 29 न०	उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Kumar Meena
Date: 2021.10.27 00:38:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

132, 166 से 170, 185 से 188, 23 से 27
29, 40 से 44, 55 से 58, 60 किता 26 रकबा
7.50 हे० अप्रार्थी 1 लगा० 5, 8 लगा० 11, 5 लगा० 7
के पिता के नाम दर्ज है। इन्द्रालाल की
मृत्यु हो चुकी है जिसके कानूनी वारिसान
अप्रार्थी 5 लगा० 7 बताये गये। प्रार्थी 1, 2
के पिता एवं 3 के दादा चंदा पुत्र रामसहाय
तथा अप्रार्थी नं० 1, 2 के पिता एवं 3 के
दादा तथा नं० 4 के ससुर एवं 5 लगा० 7 के दादा
पति तथा नं० 4 के ससुर एवं 5 लगा० 7 के दादा
बद्री पुत्र हरबक्स तथा धन्नी के भाई ग्यारसिया
ने आपसी में अपनी-अपनी भूमियों की
अदला-बदली (विनिमय) सन 1980 में
पंजीकृत करवायी है दस्तावेज कार्यालय
पंजीकृत विनिमय पत्र दिनांक 14.6.1980
के अनुसार आपसी यथा स्थिति में
प्रार्थीगण खातेदारी भूमि ख०नं० 189, 190
किता 2 रकबा 1-08 हे० राय हजार 4 की
अप्रार्थीगण के नाम दर्ज किया जाये तथा
अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख०नं०
$\frac{169}{0.04 हे०}$, $\frac{170}{1-08 हे०}$ को प्रार्थीगण के नाम दर्ज
किया जावे।

इसमें प्रार्थी। अप्रार्थीगण वकील पद
मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रार्थी
अप्रार्थीगण [illegible] जमाबंदी, पंजीकृत
विक्रय पत्र [illegible] [illegible] विलोकन
किया। अप्रार्थी [illegible] प्रा० पत्र से
सहमत है में प्रार्थनापत्र [illegible] पर सहमती
प्रकट की [illegible] [illegible] (विनिमय)
पंजीकृत 1980 के द्वारा अनुसार के पूर्वजों

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Kumar Meena
Date: 2021.10.27 00:38:40 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] (टोंक)

Scanned with CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

ने भूमि अदला-बदली करली और
उसके अनुसार मौके पर काबिज काश्त है
पक्षकार पूर्व की एक्सचेन्ज डीड पर सहमति
प्रस्तुत की है और आज भी सहमत है
उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर प्रार्थीगण
द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र धारा 49 लगायत 52
राज० काश्तकारी अधिनियम (एक्सचेन्ज ऑफ
होल्डिंग्स) स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत
होता है।

अतः आदेश है कि,
प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र
अन्तर्गत धारा 49 ता० 52 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम (एक्सचेन्ज ऑफ होल्डिंग्स)
स्वीकार किया जाता है, तहसीलदार बकिवा
प्रार्थीगण खातेदारी भूमि ख.नं० 189, 190
ग्राम हरनाथपुरा तहसील बकिवा को प्रार्थीगण
खातेदारी भूमि से हटाया जाकर अप्रार्थीगण
के नाम दर्ज किया जावे तथा अप्रार्थीगण
की खातेदारी भूमि ख.नं० 169, 170 ग्राम हरनाथपुरा
तहसील बकिवा को अप्रार्थीगण खातेदारी से
हटाकर प्रार्थीगण के नाम दर्ज किया जावे।
उपरोक्तानुसार पालना हेतु तहसीलदार बकिवा
को तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद तकमील
होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(नीरज कुमार मीणा)
उप जिला कलेक्टर मांगरोल
जिला-बारां।